न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 37/2023 दर्ज तिथिः– 05.06.2023

मांगीलाल पुत्र अर्जुन जाति कोली निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।

.............वादी

बनाम

1. पदम पुत्र चुन्नालाल
2. प्रेमदेवी पत्नि चुन्नालाल
3. ज्योति पुत्री चुन्नालाल
4. हुकम पुत्र चुन्नालाल
5. आशा पुत्री चुन्नालाल
6. उषा पुत्री चुन्नालाल
7. विमला देवी पत्नि मांगीलाल

समस्त जाति कोली निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।

8. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा महवा जिला दौसा
9. राज.सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा
10. उप पंजीयक महवा जिला दौसा

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता :– श्री सी.एल.बैरवा
प्रतिवादी अधिवक्ता :– एकपक्षीय

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:: निर्णय ::–

निर्णय तिथि :– 21.05.2025

आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते अंतिम निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 292 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा जिला दौसा (राज0) में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 भाग, प्रतिवादी सं. 01 लगायत 6

Manisha

स्सा प्रत्येक का 17 / 354— 17 / 354 भाग एवं प्रतिवादी सं. 7 का 25 / 118 भाग के लिखित खातेदार काश्तकार हैं और इसी अनुसार आज तक सामूहिक रूप से काबिज हर कर काश्त करते चले आ रहे हैं। वांका दिनांक 15.05.2023 का है कि वादी अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी पर सूल बबूल करने गया था कि वहाँ पर पूर्व से ही सूल बबूल कर रहे प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 ने वादी से कहा कि यह जमीन हमारी है । इस पर हम तुझे काश्त नहीं करने देगें। वादी ने अभी कानूनी बंटवारा नहीं होने की बात बताई कि तहसील चलकर कानूनी बंटवारा करा लेते है तो प्रतिवादीगण एकदम आग बबूला हो गये और कहने लगे कि तुम इस खेत को नहीं बो सकते हम किसी प्रकार का बंटवारा नहीं करेगें इसलिए वादी को बंटवारे के लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हो गया है। उसके विपरीत भी डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। लिहाजा यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादकारण दिनांक 15.05.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा से इन्कारी होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल कर देने एवं बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने पर व मुकाम अकबरपुर तहसील महवा अन्दर हदूद अख्त्यार समाअत अदालत हाजा पैदा हुआ है।

अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा पृथक किया जावे और वादी का एकान्तिक आधिपत्य कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे किवे वादी के हिस्से में आई भूमि पर बादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील महवा का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 की संयुक्त आराजी खसरा नंबर 292 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा जिला दौसा (राज0) के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकास्मा नही हुआ है। संयुक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज हैं तथा मौके पर कब्जानुसार वादी व प्रतिवादीगण का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा एवं मौके के अनुसार तकास्मा किया जा सकता है एवं वाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी के निवेदन पर वादी का वाद दिनांक 21.10.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर

Manisha

CamScanner

...दार महवा से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार महवा से पत्रांक क्रमांक/भू.अ. 2024/1 दिनांक 01.01.2025 द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हुये। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार वाद पत्र को अंतिम रूप से डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार महवा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर गौर किया। वाद अवलोकन/गौर पत्रावली एवं कुर्रेजात प्रस्ताव हम दावा मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश यह है कि :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिकी किया जाता है :–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख0न0	रकवा
1	मांगीलाल पुत्र अर्जुन हि. पूर्ण जाति कोली सा. रामगढ राहिन यूको बैंक शाखा महवा मुर्त.	292 293/2	0.53 है0 0.06 है0
	कुल	किता 02	0.59 है0
2.	1. विमला पत्नि मांगीलाल हि. 25/59 जाति कोली सा. रामगढ खातेदार 2. हुकम पुत्र चुन्नालाल हि. 17/177 जाति कोली सा. रामगढ 3. प्रेमदेवी पत्नि स्व. चुन्नालाल हि. 17/177 जाति कोली सा. रामगढ 4. पदम पुत्र चुन्नालाल हि. 17/177 जाति कोली सा. रामगढ 5. ज्योति पुत्री चुन्नालाल हि. 17/177 जाति कोली सा. रामगढ 6. उषा पुत्री चुन्नालाल हि. 17/177 जाति कोली सा. रामगढ 7. आशा पुत्री चुन्नालाल हि. 17/177 जाति कोली सा. रामगढ	293/1	0.59 है0
	कुल	किता 01	0.59 है0

Manish

CamScanner

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते कायम किये ने के आदेश दिये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.05.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
महवा दौसा